

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,.....
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी अण्णा लिंगा व भू.अ.नि. रीठ
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार शाबो / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम अण्णा लिंगा तहसील शाबो व जिला
 की जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में खाता संख्या 109 में वर्तमान में दर्ज
 प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	अण्णा लिंगा	109	सोहन बाला पिता भजा	सोहन बाला पिता भजा



अण्णा लिंगा
 उपखण्ड अधिकारी
 पीठासीन अधिकारी
 जिला न्यायालय अदालत (पज.)
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर,

कमांक :- 19/2019 प्रा.प. धारा 136

दिनांक :- 27/11/19

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार शाबो को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सोहन बाला पिता भजा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

अण्णा लिंगा
 उपखण्ड अधिकारी

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

